शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2018
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

राष्ट्रीय एकता, हिंदी और नागरी लिपि

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

भारत की सभ्यता और संस्कृति सदैव से समन्वय और सामंजस्य पर आधारित रही है। इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना ने प्राचीन भारत में भाषा की समस्या को सुलझा लिया था। उन्होंने संस्कृत को संपूर्ण भाषाओं की प्रकृति तथा अन्य भाषाओं को उसकी 'विकृति' मानकर उसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया। इस प्रक्रिया से किसी भाषा का विनाश नहीं हुआ, परंतु विकास सभी भाषाओं का हुआ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक संस्कृत राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन थी। अलग-अलग प्रांतों में निवास करने वाले विद्वतजनों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संस्कृत को अपनाना पड़ा। वास्तव में संस्कृत अध्यात्म की भाषा है। समन्वय के परिणामस्वरूप ही हम देखते हैं कि हजारों वर्षों बाद भी भारत की सांस्कृतिक चेतना में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। संस्कृत भाषा की लिपि नागरी होने से भी यह परंपरा अक्षुण्ण बनी रही है। संस्कृत में विचार की स्वतंत्रता का अद्भुत गुण है। इसके प्रत्येक अक्षर का उच्चारण होता है। आगे चलकर यही सब भाषाओं की जननी कहलायी। कालांतर में संस्कृत साहित्यिक राष्ट्रभाषा के रूप में चलती रही, जबकि प्राकृत जनसामान्य की राष्ट्रभाषा के रूप में पल्लवित-पुष्पित हुई। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने विचार-प्रचार के लिए प्राकृत को अपनाया। शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ और यह भारत की राष्ट्रभाषा बनी, जिसे खड़ीबोली हिंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदी भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा की आधुनिक कड़ी है। भारत के आजादी आंदोलन के साथ-साथ हिंदी भाषा का रूप-स्वरूप निखरता चला गया और यह जन-जन के कंठ का हार बनी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ऐतिहासिक आवश्यकता थी। आजादी आंदोलन में भाषायी बंधन ढीले हो गए थे। अंग्रेजों और अंग्रेजी से मुकाबला करने के लिए पूरा देश एकसाथ उठ खड़ा हुआ। उस वक्त प्रांतीयता के आगे राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी। देश के प्रमुख नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर जन-जन तक आजादी का संदेश पहुंचाया। जब हिंदी ने अपना विस्तार किया तब उसके साथ लिपि भी सभी दूर पहुंची। चूंकि हिंदी भाषा की लिपि नागरी होने से अहिंदी भाषियों को उसमें नयापन नहीं लगा। इसका मुख्य कारण संस्कृत भाषा की लिपि भी नागरी होना है। भारत की आजादी के बाद जब भाषायी आधार पर प्रांतों का गठन हुआ, तब भाषाओं को लेकर आपस में टकराहट पैदा हो गयी। अहिंदी प्रातों को यह अहसास दिलाया गया कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। आजादी के बाद देश में अनेक प्रकार के भाषायी दुराग्रह और पूर्वाग्रह उपस्थित हो गए हैं। समय बीतने के साथ राजनीतिक कारणों से भाषायी बंधन और कड़े हो गए। भारत हजारों साल से एक रहा, लेकिन बाद

में भाषा का संबंध टूट गया और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। तब महात्मा गांधी को कहना पड़ा कि यदि हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो एक राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है। तब सबसे अधिक बोली जाने वाली प्रचलित भाषा के तौर पर गांधीजी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखा। जब हमने यह बात समझ ली, तब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का समस्त व्यवहार हिंदी में करने लगे। महात्मा गांधी ने हिंदी के माध्यम से सारे भारत की आत्मिक एकता बढ़ाने का सुझाव दिया था। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी। हिंदी ने राष्ट्रभाषा होने का दावा इसलिए किया क्योंकि देश के अधिसंख्य निवासियों की मातृभाषा हिंदी है। अनेक लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं। जिन लोगों के लिए कठिन है, वे थोड़े से प्रयासों से इसे सीख सकते हैं। हिंदी भारत की बुनियादी भाषा है। यह सुलभ संस्कृत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखकर संस्कृत को बहुत आसान बना दिया, जिसे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी सरलता से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। बंकिमचंद्र चटर्जी ने 'वंदेमातरम्' और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 'जनगणमंगलदायक' लिखा। इसमें अधिसंख्य शब्द संस्कृत के हैं, परंतु पूरे देशवासी एकसाथ खड़े होकर राष्ट्रवंदना करते हैं। आज भाषाभेद के कारण उत्तर-दक्षिण का भेद पड़ गया है। दक्षिण भारत में हिंदी का जिस तीव्रता से प्रसार हुआ है उतना दक्षिण की भाषाओं का उत्तर भारत में प्रसार नहीं हुआ है। भारत को भाषायी झगड़े से बचाने के लिए उत्तर भारत में दक्षिण की भाषा सीखने-सिखाने का वृहद कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इसमें नागरी लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में अलग-अलग भाषाओं के लिए तकरीबन 12 लिपियां प्रचलित हैं। हिंदुस्तान की सभी भाषाओं को नागरी लिपि में व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध में विनोबा भावे लिखते हैं, "अब भारत को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा काम नहीं देगी। अगले 20-25 साल अगर उस पर जोर देंगे तो वह तोड़ने काम करेगी, जोड़ने का नहीं। नागरी लिपि जोड़ने का काम करेगी। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा से भी अधिक जरूरत नागरी लिपि की है। उड़िया, तमिल, असमिया आदि लिपियां भी चलें और नागरी भी। यूरोपियन देशों में एक बाजार बनाने में रोमन लिपि ने अपना योगदान दिया। विज्ञान और तकनीक के विकास ने आज यह सुअवसर उपलब्ध करा दिया है कि हम भारत की विभिन्न भाषाओं को नागरी लिपि में भी अभिव्यक्त करें। हिंदुस्तान की सब भाषाएं नागरी में लिखी जायें, तो भारत की एकता और अधिक मजबूत होगी। यदि उत्तर भारत वाले को दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालयम सीखना है तो वह नागरी लिपि में अधिक आसानी से सीख सकता है। दक्षिण वालों को भी यदि अपने आसपास की भाषा सीखना है तो उसमें नागरी मदद करेगी। अनेक लोगों को यह भय होता है कि नागरी लिपि अपनाने से उनकी लिपि समाप्त हो जाएगी। यह भय निरर्थक है। अपनी भाषाएं सीखने के लिए अपनी-अपनी लिपियां कायम रहेंगी। भारत में 22 विकसित भाषाएं हैं और अलग-अलग लिपियों में हजारों वर्षों का समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। इसके नागरी लिपि में आ जाने से सभी को उसका लाभ मिलेगा। अज्ञानता के कारण नागरी को ही हिंदी लिपि कहा जा रहा है, इससे भाषायी विरोध उपस्थित हुआ है जबकि नागरी का हिंदी से कुछ भी संबंध नहीं है।